राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :– 175/2025
जीसीएमएस नं. 2025/175

दायर दिनांकः–२५.10.2025
निर्णय दिनांकः–२५.10.2025

"आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, बान्द्रा कुलां कॉम्लेक्स मुम्बई 400051 तथा शाखा कार्यालय–उदयपुर

(प्रार्थी)

बनाम

1. नम्रता सुथार पुत्री श्री नानालाल सुथार, निवासी–पता वार्ड नं. 6, नवलश्याम की हवेली, सुथारो को नोहरा, सलतवाडा, डूंगरपुर एवं सम्पत्ति पता–फ्लेट नं. 104, कुबेर रेजीडेन्सी आर एन टी कॉलोनी, डूंगरपुर
2. श्रीमति कला देवी सुथार पत्नी श्री नानालाल सुथार, निवासी पता–वार्ड नं. 6, नवलश्याम की हवेली, सुथारो का नोहरा, सलतवाडा, डूंगरपुर

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

–:: आदेश ::–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड, ने अप्रार्थीगण को 10,00,000/– अक्षरे रूपया दस लाख मात्र ऋण सुविधा उधार ऋण के रूप में दी थी। जिसके पुर्नभुगतान हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की सम्पति रहन रखी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–फ्लैट नं. 104, कुबेर रेजीडेन्सी आर एन टी कॉलोनी जिला डूंगरपुर में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसके उत्तर में रामेश्वर का मकान, दक्षिण में फ्लैट नं. 101, पूर्व में रोड, पश्चिम में फ्लैट नं. 103 स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण भुगतान नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 05.03.2025 को (एन. पी.ए) घोषित किया गया। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 9,66,090.86/– अक्षरे नव लाख छासठ हजार नब्बे रूपये छियासी पैसे मात्र, बकाया रकम व ब्याज दिनांक 11.03.2025 तक शेष व देय निकलते है। प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड के द्वारा ऋणी को एक्ट 2002 की धारा 13(2) कें अन्तर्गत दिनांक 12.03.2025 को नोटिस जारी करने तथा समाचार पत्र में भी प्रकाशन करवाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बन्धकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड, को दिया गया। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से जब तक सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नही हो जाता तब तक बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे सहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड, नें उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड, को सभंलवाने के लिये प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया की अप्रार्थी को उसके खाते में देय राशि मय ब्याज के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस के बावजूद भी प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड, को राशि जमा नही कराने से उक्त अधिनियग 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी के पक्ष में उक्त रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कब्जा प्रार्थी को दिलवाने का आदेश जारी करनें की मांग की। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है और उन्हें नियमानुसार सुने जाने की आवश्यकता भी नही है, क्योंकी यहा से कोई न्यायिक निर्णय नही किया जाना हैं।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

मेने वकील प्रार्थी के बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की सम्पति को आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड, के पास रहन रखकर –कुल 10,00,000/–अक्षरे रूपया दस लाख मात्र ऋण प्राप्त किया गया था। अप्रार्थी ने उक्त ऋण भुगतान नही चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 05.03.2025 को डिफाल्टर (एन.पी.ए) घोषित किया गया। कुल वकाया ऋण राशि–9,66,090.86/– दिनांक 11.03.2025 तक निकलते है। सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) कें अन्तर्गत प्रार्थी आई.सी. आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड, ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 12.03.2025 को नोटिस जारी करने के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही वंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी को दिया गया। अप्रार्थी द्वारा ऋण की सुरक्षा के एवज में वधंक के रूप में रखी गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जाना आवश्यक हैं। अतः दी सिक्यूरीटाइजेशन एण्ड रिकंन्शट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14(2) की प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड, का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड, के पास वन्धक रखी सम्पति को अप्रार्थी सें प्राप्त करने जरिये पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड, को सभ्भलायें जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण ऋणी को उपलब्ध कराने की तिथि से 30 दिवस की अवधि तक अपेक्षित राशि जमा कराने का अवसर दिया जावे। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा यदि 30 दिवस में भी अपेक्षित राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त आदेश की कियान्विति की जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर आदेश आज दिनांक 24/10/25 को सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)